




माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय, सहारनपुर

(पुँवारका, सहारनपुर, उ०प्र०, पिन-247120)



कृषि कृषक
ONE EARTH - ONE FAMILY - ONE FUTURE

Website- msuniversity.ac.in

Email ID - registrar@msuniversity.ac.in

पत्रांक 37 / 08 / 5शा/MSU / 2021-22

दिनांक: 23/04/2023

सेवा में,

प्राचार्य/प्राचार्या

समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय

विषय: अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत कतिपय कियोस्क आधारित पेमेंट बैंक में छात्रों के खाते नहीं खोले जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक निदेशालय, समाज कल्याण उत्तर प्रदेश के संलग्न पत्र संख्या-सी-5620/स०क०/शिक्षा-अ/3/490/2022-23, दिनांक : 29 मार्च, 2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा समस्त जनपदों में अध्ययनरत् छात्रों के छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति से सम्बन्धित बैंक खाते को कियोस्क आधारित पेमेंट बैंक यथा फिनों पेमेंट बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक तथा पे०टी०एम० बैंक में न खोले जाने तथा शिक्षण संस्थाओं के स्तर से छात्रों को अपने आधार नम्बर उक्त बैंकों के खाते में सीडिंग की कार्यवाही न कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

कृपया संलग्न उल्लिखित पत्र में दिये गये निर्देशों का अनुपालन करते हुये कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय

(वीरेन्द्र कुमार मौर्य)
कुलसचिव

संलग्नक -- यथोपरि।

प्रतिलिपि अधोलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

01. निजी सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
02. संयुक्त निदेशक(उ०शि०), निदेशालय, समाज कल्याण उत्तर प्रदेश।
03. सहायक कुलसचिव।
04. कुलपति कार्यालय को कुलपति महोदय के सूचनार्थ।

कुलसचिव

पत्रांक सी-5620/संयुक्त/शिक्षा-अ/3/490/2022-23

लखनऊ : दिनांक : 23 मार्च, 2023

समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी
उ० प्र०।

विषय:- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्रवृत्ति योजनांतर्गत कतिपय कियोस्क आधारित पेमेंट बैंक में छात्रों के खाते नहीं खोले जाने के संबंध में।

उपरोक्त विषयक निदेशालय पत्रांक सी-4874 दिनांक 21.02.2023 तथा सी-5051 दिनांक 28.02.2023 जोकि समस्त जिलाधिकारी, उ०प्र० को सम्बोधित तथा आपको पृष्ठांकित है, का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा प्रवर्तन निदेशालय द्वारा प्रदेश के कतिपय जनपदों में कतिपय शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्रों की छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति योजनाओं में की जा रही घोटासे की जाँच के क्रम में मास्टर डाटा में सम्मिलित शिक्षण संस्थानों का शत-प्रतिशत भौतिक सत्यापन, संस्थानों को सक्षम स्तर से प्राप्त मान्यता प्रमाण-पत्र में उल्लिखित नाम व अन्य विवरण तथा मास्टर डाटा में सम्मिलित सम्बन्धित संस्थान का शत-प्रतिशत मिलान/सत्यापन के साथ-साथ जनपदीय अधिकारियों एवं सहायक विकास अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी/सुपरवाइजर की टीम से शिक्षण संस्थानों व छात्रों की पाठ्यक्रमों में उपस्थिति का सत्यापन शीघ्र प्राथमिकता के आधार पर कराये जाने के निर्देश दिये गये थे।

शासन के पत्रांक 797/26-3-2023 दिनांक 13.03.2023 द्वारा प्रवर्तन निदेशालय द्वारा प्रदेश के 22 जनपदों के कतिपय शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्रों की छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति की योजनाओं में घोटासों की जाँच के संबंध में प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में दिनांक 06.03.2023 को सम्पन्न बैठक के कार्यवृत्त के बिन्दु 4 में समस्त जनपदों में अध्ययनरत छात्रों के छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति से सम्बन्धित बैंक खाते को कियोस्क आधारित पेमेंट बैंक यथा फिनो पेमेंट बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक तथा पेटीएम बैंक में न खोले जाने तथा शिक्षण संस्थाओं के स्तर से छात्रों को अपने आधार नम्बर उक्त बैंकों के खाते में सीडिंग की कार्यवाही न कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि अपने जनपद में संचालित समस्त शिक्षण संस्थानों को यह अवगत करा दिया जाये कि उनके यहाँ अध्ययनरत छात्र द्वारा अपने बैंक खाते कियोस्क आधारित पेमेंट बैंक यथा फिनो पेमेंट बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक तथा पेटीएम बैंक में न खोला जाये तथा अपने आधार नम्बर को उक्त बैंक खातों से सीडिंग न कराया जाये।
संलग्नक-यथास्त।

29/3/2023
(आर० के० सिंह)
संयुक्त निदेशक

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- निजी सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, समाज कल्याण विभाग, उ०प्र० शासन।
- 2- समस्त जिलाधिकारी, उ०प्र०।
- 3- समस्त मण्डलीय उप निदेशक, समाज कल्याण, उ०प्र०।


(आर० के० सिंह)
संयुक्त निदेशक

कार्यालय निदेशक(उ०शि०) उच्च शिक्षा निदेशालय, प्रयागराज ।

पृष्ठांकन संख्या : डिग्री विकास/ 72-74/2023-24 दिनांक- 12/04/2023

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि निदेशालय, समाज कल्याण उत्तर प्रदेश, लखनऊ के उक्त पत्र दिनांक- 29 मार्च, 2023 का कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित करें -

- 1- कुलसचिव, समस्त राज्य/ निजी विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश ।
- 2- समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
- 3- समस्त प्राचार्य/प्राचार्या, राजकीय, अशासकीय सहायता प्राप्त एवं स्ववित्तपोषित महाविद्यालय, उत्तर प्रदेश ।


12.04.2023
डॉ०(सुनन्दा चतुर्वेदी)
संयुक्त निदेशक,(उ०शि०)
कृते-शिक्षा निदेशक,(उ०शि०)
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज ।